

परियोजना का नाम:-जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडिहाट में RoW
 permission for laying Optical Fiber Cable from
 आगला - अस्कोट - नारायण नगर - धारचूला

.....(Total Length 60.9 Km) तक मोटर
 मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित
 भूमि: 0.60.9 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के
 तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC
 Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को वन भूमि में
 कार्य करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

F

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं
 वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत
 सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।